

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प.1(27)एमई/गुप-1/2009

जयपुर, दिनांक :

05 APR 2019

आदेश


राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम- 31 के अनुसार फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार अस्थाई वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है। यदि कोई चिकित्सक शिक्षक इससे परिवेदित हो तो, इसके जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन प्रमाणित दस्तावेजों सहित इस विभाग को निश्चित रूप से प्रेषित कर दें। निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी:-

वरिष्ठ आचार्य/आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. मृणाल जोशी	सामान्य	27.09.1970	2017-18	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2017
2.	डॉ. रजनीश शर्मा	सामान्य	08.02.1960	2015-16	आचार्य 01.04.2015
3.	डॉ. सुनील गोयनका	सामान्य	26.10.1963	2015-16	आचार्य 01.04.2015
4.	डॉ. राजेश्वरी जिंदल	सामान्य	20.10.1967	2015-16	आचार्य 01.04.2015

सहायक आचार्य


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि/कार्यग्रहण तिथि
1.	डॉ० नितिन पाण्डे	सामान्य	18.10.1974	16.06.2012 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
2.	डॉ० ओम प्रकाश	सामान्य	02.06.1979	04.07.2012 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
3.	डॉ० केशव देव	सामान्य	25.07.1979	16.06.2012 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
4.	डॉ० ज्योति गोठवाल	अजा.	21.07.1978	09.07.2012 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
5.	डॉ० महेश कुमार मीणा	अजजा	02.09.1970	04.10.2013 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
6.	डॉ० महिमा अग्रवाल	सामान्य	20.07.1985	25.02.2016 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
7.	डॉ० आस्था पाटनी	सामान्य	24.10.1981	26.02.2016 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
8.	डॉ० गोविन्द सिंह	सामान्य	29.12.1980	27.02.2016 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)

आज्ञा से,


(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
3. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज।
4. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।



(जी. आर. रावल)
शासन सहायक सचिव